बीकानेर के पांच पार्कों पर सख्त हुआ मानव अधिकार आयोग, न्यायाधिपति व्यास ने मांगी रिपोर्ट

बीकानेर (नसं)। बीकानेर में रियासतकाल में बने पांच पार्कों की दशा सुधारने का बीड़ा अब राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने उठा लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास ने एक परिवाद का निस्तारण करते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम और नगर विकास न्यास से रिपोर्ट तलब की है।

दरअसल, बीकानेर पब्लिक पार्क बचाओ अभियान के माध्यम से दायर एक परिवाद में पब्लिक पार्क के अलावा रतन बिहारी पार्क, लक्ष्मीनाथ मंदिर पार्क, रेलवे स्टेशन के पास गोल बाग एवं गिधानी पार्क की दशा सुधारने की मांग की थी। न्यायाधिपति व्यास ने पार्कों की देखरेख के लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन, नगर विकास न्यास और नगर निगम से पूछा है कि इनकी स्थिति सुधारने और बेहतर बनाने के लिए क्या कार्य योजना है? अगली तारीख पेशी पर इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट इन विभागों को देनी होगी।

रियासतकालीन है पार्क

इन पांचों पार्कों का निर्माण बीकानेर की आम जनता की सुविधा और स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। पब्लिक पार्क में न्यायालय परिसर के साथ ही लंबा चौड़ा पार्क बनाया गया था। जिसमें एक चिड़ियाघर व जंतुआलय भी था। धीरे धीरे ये दोनों बंद हो गए।

क्या है मुख्य मांग?

पब्लिक पार्क बचाओ अभियान का उद्देश्य है कि पब्लिक पार्क से गुजरने वाले रास्तों को बंद किया जाये। यहां वाहनों के गुजरने से आम आदमी घूमने के लिए नहीं आ सकता। सुबह भी लोगों को भ्रमण के लिए वृद्धजन भ्रमण पथ जाना पड़ता है। पब्लिक पार्क को पूरी तरह वाहन मुक्त करने की मांग को लेकर पिछले दिनों न्यायाधिपति को ज्ञापन दिया गया था। इसी ज्ञापन को परिवाद के रूप में लेते हुए न्यायाधिपति व्यास ने संबंधित विभागों को नोटिस दिया है।

यह ऑफिस है पार्क में

पब्लिक पार्क में जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला रसद अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन, तहसीलदार, कोषागार, बीएसएनएल, नगर विकास न्यास, वन विभाग व बिजली विभाग के कार्यालय खुले हुए हैं। इन्हीं के कारण सर्वाधिक वाहनों की रेलमपेल होती है।